न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 219/2020 निर्णय दिनांक :–19.07.2022

दीवानी प्रार्थना पत्र :

सुनिल पहाड़िया पुत्र जगदीश पहाड़िया जाति खटीक उम्र बालिग निवासी घाड़ तहसील दूनी जिला टोंक राज0

– प्रार्थी –

बनाम

1. ममता देवी पत्नी हेमराज जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी ठिकरिया कलां तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. हेमराज पुत्र मोती जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी ठिकरिया कलां तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. सत्यनारायण पुत्र जगन्नाथ जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी ठिकरिया कलां तहसील दूनी जिला टोंक राज0
4. उप पंजीयक महोदय, दूनी जिला टोंक
5. तहसीलदार महोदय, दूनी तहसील देवली जिला टोंक राज0

– अप्रार्थीगण –

उपस्थिति :–
श्री आलोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थी

एकपक्षीय कार्यवाही
विरूद्ध अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं प्रतिपक्षीया संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की आराजीयात खाता संख्या 267 ख. नं. 517 रकबा 1.69 है0 वाके ग्राम ठिकरिया कला पटवार हल्का ठिकरिया कला तहसील दूनी जिला टोंक रज0 में स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिपक्षीया संख्या 1 का 1/2 हिस्सा है तथा प्रार्थी एवं प्रतिपक्षीया संख्या 1 अपने अपने हिस्से पर काबिज है तथा काश्त कर रहे है। उक्त वर्णित आराजीयात का राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से तकासमा नही हो रखा है जिसके कारण उक्त

आराजीयात के लगान अदा करने को लेकर एवं उक्त आराजीयात की सीमा एवं कब्जे को लेकर प्रार्थी एवं प्रतिपक्षीया संख्या 1 के मध्य आये दिन विवाद होता रहता है। प्रार्थी ने प्रतिपक्षीया संख्या 1 को उक्त आराजीयात का हिस्से अनुसार सहमति से तकासमा करने के लिये निवेदन किया जिससे उक्त आराजीयात बाबत किसी प्रकार का विवाद ना हो परन्तु प्रतिपक्षीया संख्या 1 ने सहमति से तकासमा करने से मना कर दिया। प्रतिपक्षीया संख्या 1 एवं प्रतिपक्षी संख्या 2 आपस में पति पत्नी है जिन्होने प्रतिपक्षी नम्बर 3 को अपने हिस्से की भूमि आदोली पर दे रखी है। प्रतिपक्षीगण 1 ता 3 आये दिन प्रार्थी के कब्जेकाश्त में मजामहत करते है तथा प्रार्थी को फसल बोने नहीं देते है तथा प्रार्थी जब भी फसल बोने जाता है तो प्रतिपक्षीगण 1 ता 3 गाली गलोच करते है तथा लड़ाई झगड़ा करते है इसलिये प्रतिपक्षीगण 1 ता 3 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला मूल वाद पाबंद किया जावे कि वे स्वयं जरिये एजेंट, नोकर चाकर एंव अन्य पारिवारिक सदस्यो के बिना विधिक बंटवारा कराये उक्त आराजीयात को बेचान, रहन, दान या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरण नहीं करे, प्रार्थी की भूमि पर जबरन कब्जा नहीं करे। तथा प्रार्थी के हिस्से की हद तक प्रार्थी के कब्जेकाश्त ,उपयोग उपभोग एवं फसल बोने, काटने, लाने ले जाने में किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं करे। प्रतिपक्षी संख्या 4 को भी पाबन्द किया जावे कि वह उक्त भूमि बाबत किसी भी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत हो तो उसका पंजीयन नहीं करे। तथा राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। यदि प्रतिपक्षीगण को उक्त आशय से पाबन्द नही किया गया तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी और अपनी जमीन से महरूम हो जावेगा तथा अनावश्यक रूप से मुकदमे बाजी बढगी। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिपक्षीगण 1 ता 3 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे स्वयं जरिये एजेंट, नोकर, चाकर एवं अन्य पारिवारिक सदस्यो के बिना विधिक बंटवारा कराये प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात खाता संख्या 267 ख. नं. 517 रकबा 1.69 है0 वाके ग्राम ठिकरिया कलां पटवार हल्का ठिकरिया कलां तहसील दूनी जिला टोक रज0 को बेचान, रहन, दान या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरण नहीं करें, प्रार्थी की भूमि पर जबरन कब्जा नही करे तथा प्रार्थी के हिस्से की हद तक प्रार्थी के कब्जेकाश्त, उपयोग उपभोग एवं फसल बोने, काटने लाने ले जाने में किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं करे तथा प्रतिपक्षी संख्या 4 को भी पाबंद किया

कि वह उक्त भूमि बाबत किसी भी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत हो तो तो पंजीयन नहीं करे तथा राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थीगण अप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी नें अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए अप्रार्थीगण को पाबन्द करने हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। जमाबन्दी सम्वत 2071–74 खाता 267 में ख. नं. 517 रकबा 1.69 है0 में प्रार्थी सहखातेदार के रूप में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा है। उक्त राजस्व रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि प्रार्थी उक्त आराजी का रिकॉर्डेड सहखातेदार होने से अप्रार्थीगण को अपने हिस्से की भूमि में कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में बाधा व मजामहत उत्पन्न नहीं करने बाबत् पाबन्द करने का अधिकार रखता है। अतः प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है वे खाता 267 में ख. नं. 517 रकबा 1.69 है0 वाक ग्राम ठिकरिया कलां पटवार हल्का ठिकरिया कला में प्रार्थी के 1/2 में प्रार्थी के कब्जेकाश्त व उपयोग उपभोग में बाधा व मजामहत उत्पन्न नहीं करे, ना ही प्रार्थी को बेदखल करे तथा विधिवत विभाजन तक उक्त आराजीयात को रहन, दान, बेचान व वसीयत नहीं करे। मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली वाद के साथ हमफिता हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

देवली